



राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर

परिवहन मार्ग, चौमू हाऊस जयपुर(राजस्थान)302001

क्रमांक: एफ 1 / मुख्या. / याता. / स.सा. / 2020 / 84

दिनांक: 18.3.2020


:कार्यालय आदेश:

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रभाव को सीमित करने के उद्देश्य से एडवायजरी जारी की गयी है जिसके अनुसार किसी भी स्थान पर 50 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित ना होने की सलाह दी गयी है।

प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को भी दिनांक 31 मार्च 2020 तक पर्यटकों के लिये बंद कर दिया गया है। ऐसी अवस्था में राज्य में यात्रियों का आवागमन तुलनात्मक रूप से कम हो गया है।

अतः कोरोना वायरस के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी एडवायजरी एवं यात्रियों की संख्या में आयी गिरावट को दृष्टिगत रखते हुये समस्त मुख्य प्रबन्धकों को निर्देशित किया जाता है कि आगार में नियमित शिड्यूलों को यात्रीभार की उपलब्धता के आधार पर इस प्रकार संचालित करे कि किसी भी मार्ग पर एक नियमित अंतराल पर आवश्यकतानुसार सेवा उपलब्ध होती रहे तथा लंबे मार्गों पर यदि एक से अधिक सेवायें संचालित है तो उसमें सयुक्त कर आवश्यकता होने पर ही संचालित करें। आगार में रिशिड्यूलिंग करने के पश्चात ऑनलाईन आरक्षण प्रणाली में भी तदानुसार संशोधन आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही आगार के संचालन में किये गये परिवर्तनों से निम्न अधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित मोबाईल नम्बर पर अवगत करायेंगे।


क्र.सं.	नाम	पद	मोबाईल नम्बर
1	श्रीमती अनिता बडसीवाल	उप महा प्रबंधक (याता.)	9079843261
2	श्री पंकज कपूर	कार्यकारी प्रबंधक (स.सा.)	9549234593


(प्रवीण जैन)
प्रबन्ध निदेशक
दिनांक: 18.3.2020

क्रमांक: एफ 1 / मुख्या. / याता. / स.सा. / 2020 / 84

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- 1- निजी सचिव, अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक महोदय, राज. परिवहन निगम, मु. जयपुर।
- 2- कार्यकारी निदेशक (प्रशासन / यातायात / यांत्रिक) राज. परिवहन निगम, मु. जयपुर।
- 3- निजी सचिव, वित्तीय सलाहाकार राज. परिवहन निगम, मु. जयपुर।
- 4- उपमहा प्रबंधक (यातायात / प्रशासन / बजट / सांख्यिकी) राज. परिवहन निगम, मु. जयपुर।
- 5- उप महाप्रबंधक (आई.टी) को भेजकर लेख है कि दिनांक 31.03.2020 तक मुख्य प्रबन्धकों को ओ.आर.एस. में आवश्यकतानुसार परिवर्तन का अधिकार दिया जाना सुनिश्चित करें।
- 6- आगार, रा.रा.प.प.निगम।
- 7- रक्षित आदेश पत्रावली ।


कार्यकारी निदेशक (यातायात)